



न्यायालय भूमि सुधार उप-समाहर्ता,

बेरमो मु० तेनुघाट, जिला-बोकारो।

परमिशन केस नं० ५७/2023

लाल मोहन महतो पिता श्री धुरेन्द्र नाथ महतो

जाति-कुर्मी (महतो) धर्म-हिन्दु पेशा-खेती

निवास ग्राम- सिंहपुर, थाना-कसमार

जिला-बोकारो आधार संख्या 6153 2069 8287 ————— आवेदक।

— बनाम —

रथु महतो पिता स्व० रुपन महतो

जाति-कुर्मी (महतो) धर्म-हिन्दु पेशा-खेती

निवास ग्राम- सिंहपुर थाना-कसमार

जिला-बोकारो आधार संख्या 3924 2905 1844 ————— विपक्षी।

सविनय आवेदन पत्र आवेदक की ओर से  
छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा  
46 (1) (ख) के अन्तर्गत निम्नप्रकार है :-

महाशय,

1. यह कि, आवेदक एवं विपक्षी एक ही ग्राम थाना व जिला के निवासी है तथा आवेदक एवं विपक्षी दोनों जाति के "कुर्मी (महतो)" है।
2. यह कि, आवेदक को अपने आवश्यक पारिवारिक खर्च के लिए रुपये सख्त जरूरत आ पड़ी है तथा बिना भूमि को बिक्री किये रुपये का व्यवस्था होने का कोई अन्य दुसरा उपाय नहीं है इसलिए आवेदक अनुसूची में वर्णित भूमि को मूल्य मो० 1,00,000/- (एक लाख) रुपये में बिक्री करने का बातचीत विपक्षी के साथ किया।

3. यह कि, अनुसूची में वर्णित उपरोक्त भूमि बजरिये विक्रय पत्र केवाला दस्तावेज संख्या 1016 वर्ष 2000 ई0 को मोकाम— तेनुघाट बेरमो सबरजिस्ट्री ऑफिस से नविस्ते चितरंजन प्रसाद जायसवाल बनाम आवेदक के खुद नाम से केवाला हासिल है जिसका बुक नं0 1 भोलुम नं0 32 बावत 2000 ई0 पेज नं0 133-144 निबंधित है। आवेदक खरीदगी दिन से भूमि पर दखलकार हुए एवं सदा शांति पूर्वक कायम काबिज दखलकार चले आते है वो है।

4. यह कि, भूमि का जिसका सरकारी मालगुजारी रसीद संख्या 0700647992 वर्ष 2018-2019 ई0 निर्गत है जो अंचल कार्यालय के पंजी-2 के भोलुम नं0 3 के पेज नं0 58 में लेख्यकारी के खुद नाम से जमाबंदी चल रहा है।

5. यह कि विक्रय वाली भूमि सरकारी भूमि, वन भूमि, भूदान, से प्राप्त भूमि नहीं है तथा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत हस्तांतरण प्रतिबंधित नहीं है। उक्त भूमि पर किसी प्रकार की निषेधाज्ञा किसी न्यायालय द्वारा नहीं लगाई गयी है तथा इसका हस्तांतरण किसी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं है। बिक्री भूमि में कोई विवाद नहीं है और किसी भी न्यायालय में कोई मामला लंबित नहीं है।

6. यह कि, अनुसूची में वर्णित भूमि बिक्री के पश्चात आवेदक भूमिहीन नहीं होते है। चूंकि आवेदक के पास बिक्री भूमि के अलावे समुचित भूमि शेष रह जाता है।

7. यह कि, अनुसूची में वर्णित भूमि खरीदने के पश्चात विपक्षी के पास सीमा से अधिक भूमि नहीं होता है।

8. यह कि, अनुसूची में वर्णित भूमि सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य के अनुसार मो0100000/- (एक लाख) रुपये है।

9. यह कि अन्य आधार सुनवाई के दौरान अर्ज किया जायेगा।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अनुसूची में वर्णित भूमि आवेदक को विपक्षी के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाय।

इसके लिए आवेदक श्रीमान् का सदा आभारी रहेगा।

दिनांक—

अनुसूची

मौजा—चोली, थाना नं० 138 थाना—कसमार तौजी नं० 28 खेवट नं० 1  
जिला—बोकारो हल्का नं० 09 है।

| खाता नं०        | प्लॉट नं०           | रकवा      | मध्ये रकवा                   |
|-----------------|---------------------|-----------|------------------------------|
| 71<br>(इकहत्तर) | 605<br>(छः सौ पाँच) | 51 डीसमील | 21 डीसमील<br>(एक्कीस डीसमील) |

जिसकी वर्तमान चौहदी निम्नप्रकार है :-

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| उत्तर— मुन्नीराम महले      | दक्षिण— महावीर साव बगैह |
| पुर्ब—अज का बेटा मनेजकुमार | पश्चिम— परमेश्वर मांझी  |

कुल खाता—एक, कुल प्लॉट—एक, कुल रकवा 21 डीसमील (एक्कीस डीसमील) जमीन।

14/6/2023